अब पत्रा... 1-10-25 को ...

1.10.25	पत्रावली आज पेश हुई वाद द्वारा [illegible] स्थगन किया ... अब पत्रावली [illegible]नुसार दिनांक 6-11-25 को पेश की जावे
6.11.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक...... 24-11-25 को पेश की जावे
24.11.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से पूर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्रकरण मे प्राप्त रिपोर्ट पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई वकील वादी ने फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन करने पर दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत अंतिम निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेगू को दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सेवा...

1553 ...

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

संख्या :– 34 / 2021

श्रीमती रंजनाबाई पत्नी रतनलाल गुजर निवासी किशनपुरा (कादुन्दा) तह0 वेगूं

वादीया

बनाम

1. भँवरिया पिता छोगा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
2. हम्माबाई पत्नी होकमा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
3. भैरूलाल पिता होकमा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
4. छगनलाल पिता होकमा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
5. कैलाशचन्द्र पिता होकमा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
6. उदयलाल पिता वद्री जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
7. हीरू पिता वद्री जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
8. देउबाई वेवा वद्री जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
9. रतनीबाई पिता वागा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूं
10. प्रभाती पिता वागा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
11. काली पिता वागा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
12. भवाना पिता भूरा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
13. एजन पिता काना जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
14. करतुरी पिता काना जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
15. सूडी पिता काना जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
16. सुशीला पिता काना जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
17. भँवरलाल पिता हीरा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
18. उदयलाल पिता वालू जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
19. वंशी पिता हीरा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
20. अनोपी पिता हीरा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
21. हरकू वेवा हीरा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
22. वोतलाल पिता देवी जी गुजर निवासी वानोडा तह0 वेगूँ
23. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, वेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक :– 24.11.2025

अंतिम निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा बनोडा प0ह0 जयनगर में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी मे निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :–

	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
(अ)	106	145	0.9800
		147	4.6100
	योग किता – 2	कुल रकवा	5.5900 हैक्ट
(ब)	107	135	0.0600
		136	0.6700
		140	0.6900
		141	0.7800
	योग किता– 4	कुल रकवा	2.200 हैक्टर

यह कि उक्त वर्णित कमल संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में जरिये नामान्तरण संख्या 758 से वादिया का हिस्सा 1/3 दर्ज रेकार्ड हुआ है एवं मौके पर भी इसी अनुसार हिस्सा कब्जे काश्त में हैं।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से संयुक्त पुश्तैनी मिल्कियत की होकर मूल पुरूष गोपाल जी गुजर की विरास से उनके तीन पुत्री कजोड एवं देवी में निहित हुई जिनमें पुत्र हरदेव के एक मात्र पुत्र मांगीलाल होने से एवं वादिया गीलाल की पुत्री , को मांगीलाल द्वारा हिस्सा भूमि दान में देने से वादिया का हिस्सा 1/3 निहित हुआ । प्रतिवादी सं0 1 से 12 कजोड के वारिसान होने से हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सं0 13 से 22 देवी के वारिसान होन से हिस्सा 1/3 उक्त वर्णित आराजीयात में निहत ही इसी अनुसार कब्जे काश्त में हैं।

यह कि वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात का विधि अनुसार विभाजन नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन फसल वोते फसल काटते एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते समय मनमुटाव होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 17.03.2021 को तहसील कार्यालय में चलकर विधिवत अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार बंटवाडा कराने बाबत कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को विरूद्ध प्रवितादीगण वास्ते बंटवाडा यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि रिकोर्डेड खातेदार शंभू पिता काना ला औलाद फोत होने एवं उसकी विधिक वारिसान उसकी सगी बहिने पहले से सहखातेदार होने से शंभु को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से वाद न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं0 23 भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बंटवाडा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाया गया हैं।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता हैः-

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादिया का हिस्सा 1/3 अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज कराने की आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

(ब) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावें।

दावा पत्रावली में न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गयें। वादीया की एक तरफा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे मुख्य परीक्षण में वादीया द्वारा दावे में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये। वादीया की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, जिन्होने अपनी बहस वाद पत्र के अनुसार करते हुए वादीया वाद वर्णित कृषि आराजीयात में 1/3 हिस्सा का बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया हैं।

बहस सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श- 1 व प्रदर्श-2 अवलोकन किया गया। मौजा बनोडा प0ह0 जयनगर के खाता संख्या 108 में वर्णित आराजी संख्या 145 व 147 कीता- 2 कुल रकबा 5.5900 हैक्टर भूमि में वादीया का हिस्सा 1/3 दर्ज है। तथा इसी प्रकार मौजा बानोडा प0ह0 जयनगर के खाता संख्या 107 में अंकित आराजी संख्या 135, 136, 140, 141 कीता-4 कुल रकबा 2.2000 हैक्टर भूमि में वादीया का हिस्सा 1/3 अंकित है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात में है। चूॅकि वादीया वर्णित कृषि आराजीयात में 1/3 हिस्से की खातेदार है जिन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत अपने हिस्से का विभाजन करा पाने का अधिकार एवं खाता पृथक से दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त होने से वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने से वादीया का वाद पत्र दिनांक 14.07.2025 को निम्न प्रकार से प्राथमिक डिकी किया गया :-

"अतः वाद वादीया का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बनोडा प0ह0 जयनगर के खाता संख्या 108 में वर्णित आराजी संख्या 145 व 147 कीता- 2 कुल रकबा 5.5900 हैक्टर भूमि में वादीया का हिस्सा 1/3 दर्ज है। तथा इसी प्रकार मौजा बानोडा प0ह0 जयनगर के खाता संख्या 107 में अंकित आराजी संख्या 135, 136, 140, 141 कीता-4 कुल रकबा 2.2000 हैक्टर भूमि में वादीया का हिस्सा 1/3 रखते हुए शेष हिस्सा वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 से 22 तक का रखते हुए उक्त आराजीयात का अच्छी से अच्छी एंव बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड् अनुसार आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूॅ को 2000/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि वे वादीया से कमिश्नर शुल्क प्राप्त कर उक्त आराजीयात का बंटवाडा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य करा विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रतियों में इस न्यायालय को भिवजाना सुनिश्चत करो । दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है, तथा प्राथमिक डिकी की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूॅ को दी जाती हैं।"

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूॅ (चित्तौड़गढ़)

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं को प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ भिजवाते हुए निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिक डिक्री में वर्णित कृषि आराजीयात का ...मा एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति इस ...यलाय मे प्रस्तुत करें। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं ने अपने पत्र कमांक .../राजस्व/2025/901 दिनांक 15.10.2025 के साथ विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ तथा पर्चामौका रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय में प्रेषित किये। प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर वहस अधिवक्ता वादीया की एक तरफा सुनी गई।

प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर वहस अधिवक्ता वादीया द्वारा की जाकर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से वादीया का वादपत्र स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि को राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने का निवेदन अपनी वहस में किया है। इस प्रकार प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बानोडा प0ह0 जयनगर में वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विभाजन निम्नलिखितानुसार किया जाता हैः–

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हैक्टर	किस्म
1–	सजनाबाई पत्नि रतनलाल गुर्जर सा0 किशनपुरा खातेदार रहन बडौदा राज. क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काटून्दामोड	136	0.6700	चाही 2
		140 मे से	0.0400	चाही 2
		145 मे से	0.3200	बीड
		147 मे से	1.4800	बंजड
		कीता–4	2.5100 हैक्टर	
2–	अनोपी पुत्री हीरा हि.1/243, उदयलाल पुत्र लालु हि.1/243,उदयलाल पुत्र बद्री हि.1/54 सीताराम पुत्र एजन हि.1/90, मीनक्षी पुत्रीएजन हि.1/90, द्रोपदी पुत्री ऐजन हि. 1/90, कैलाशचन्द्र पुत्र होकमा हि. 1/72, कस्तूरी पुत्री काना हि.1/30, कालूलाल पुत्र बोतलाल हि.1/30 काली पुत्री बागा हि.1/18, छगनलाल पुत्र होकमा हि.1/72, जमनीबाई पुत्री बोतलाल हि.1/30, ठम्माबाई पत्नि होकमा हि.1/72, देउबाई पत्निबद्री हि.1/54, प्रभाती पुत्री बागा हि. 1/18, बंशी पुत्र हीरा हि.1/24, भैरूलाल पुत्र बोतलाल हि.1/30, भैरूलाल पुत्र होकमा हि.1/72, भंवरलाल पुत्र हीरा हि.1/24, भंवरिया पुत्र छोगा हि. 1/18, भवाना पुत्र भूरा हि. 1/6, रतनी पुत्री बागा हि. 1/18, लालीबाई पत्नि स्व. फोरूलाल हि. 1/60, शम्भु पुत्र काना हि. 1/30, सुशीला पुत्री काना हि. 1/30, सूडी पुत्री काना हि.1/30, सुशीला पुत्री काना हि. 1/30, सांवरा पुत्र फोरूलाल हि. 1/60, हेमराज पुत्र बोतलाल हि.1/30, हीरू पुत्री बद्री हि. 1/54, गुर्जर सा.देह खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा बेगूं हि.भुवाना पुत्रभूरा	140 मे से	0.6500	चाही2
		141	0.7800	चाही 2
		145 मे से	0.6600	बीड
		147 मे से	2.9380	बंजड
		कीता–4	5.0280 हैक्टर	
3–	संजनाबाई पुत्री रतनलाल हि. 1/3, गुर्जर सा.किशनपुरा अनोपी पुत्री हीरा हि. 1/36, उदयलाल पुत्र बालू हि.1/36 उदयलाल पुत्र बद्री हि. 1/81, सीताराम पुत्र एजन हि.1/135, मीनाक्षी पुत्री एजन हि.1/135, द्रोपदी पुत्री एजन हि.1/135, कैलाशचन्द्र पुत्र होकमा हि.1/108, कस्तूरी पुत्री काना हि.1/45, कालूलाल पुत्र बोतलाल हि. 1/45, काली पुत्री बागा हि.1/27, छगनलाल पुत्र होमा हि. 1/108, जमनीबाई पुत्री बोतलाल हि.	135	0.0600	आ.चा
		147 मे से	0.0960	बंजड
		147 मे से	0.0960	रास्ता
		कीता–3	0.2520है.	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ)

45, ठम्माबाई पत्नि होकमा हि. 1/108, देउबाई पत्नि बद्री
हि.1/81, प्रभाती पुत्री बागा हि. 1/27, बंशी पुत्र हीरा हि.1/36
भैरूलाल पुत्र बोतलाल हि.1/45, भैरूलाल पुत्र होकमा हि.1/108
भंवरलाल पुत्र हीरा हि.1/36,भंवरिया पुत्र छोगा हि. 1/27,
रतना पुत्र भूरा हि. 1/9, रतनी पुत्री बागा हि. 1/27, लालीवाई
पत्नि स्व. फोरूलाल हि. 1/90, शम्भु पुत्र काना हि.1/45,
सूडी पुत्री काना हि. 1/45, सुशीला पुत्री काना हि. 1/45,
सांवरा पुत्र फोरूलाल हि. 1/90, हेमराज पुत्र बोतलाल हि.1/45
हीरू पुत्र बद्री हि. 1/81, गुर्जर सा.देह खातेदार
रहन एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा बेगूँ हिस्सा भवाना पुत्र भूरा का
एवं बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काटून्दा मोडा
हिस्सा संजनाबाई पत्नि रतनलाल का

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव में खाता संख्या 117 व 118 मे समान काश्तकार समान हिस्सानुसार दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा एवं खाता एक साथ दर्ज कर प्रस्तावित विभाजन किया गया है। उपरोक्त हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग अलग दर्ज किया जावें। दावा अंतिम डिकी किया जाता है। अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

संख्या :– 34 / 2021

श्रीमती संजनावाई पत्नी रतनलाल गुजर निवासी किशनपुरा (काटून्दा) तह0 बेगूँ

वादीया

बनाम

1. भँवरिया पिता छोगा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 बेगूँ
2. ठम्मावाई पत्नी होकमा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 बेगूँ
3. भैरूलाल पिता होकमा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 बेगूँ
4. छगनलाल पिता होकमा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 बेगूँ
5. कैलाशचन्द्र पिता होकमा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 बेगूँ
6. उदयलाल पिता वद्री जी गुजर निवासी वानोडा तह0 बेगूँ
7. हीरू पिता वद्री जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
8. देउवाई बेवा बद्री जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
9. रतनीवाई पिता बागा जी गुजर निवासी वानोडा तह0 बेगूँ
10. प्रभाती पिता बागा जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
11. काली पिता बागा जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
12. भवाना पिता भूरा जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
13. एजन पिता काना जी गुजर निवासी वानोडा तह0 बेगूँ
14. कस्तुरी पिता काना जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
15. सूडी पिता काना जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
16. सुशीला पिता काना जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
17. भँवरलाल पिता हीरा जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
18. उदयलाल पिता बालू जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
19. बंशी पिता हीरा जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
20. अनोपी पिता हीरा जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
21. हरकू बेवा हीरा जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
22. बोतलाल पिता देवी जी गुजर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
23. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बानोडा प0ह0 जयनगर में वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विभाजन निम्नलिखितानुसार किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हैक्टर	किस्म
1–	सजनाबाई पत्नि रतनलाल गुर्जर सा0 किशनपुरा खातेदार रहन बडौदा राज. क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काटून्दामोड	136	0.6700	चाही 2
		140 मे से	0.0400	चाही 2
		145 मे से	0.3200	बीड
		147 मे से	1.4800	बंजड
		कीता–4	2.5100 हैक्टर	
2–	अनोपी पुत्री हीरा हि.1/243, उदयलाल पुत्र लालु हि.1/243,उदयलाल पुत्र बद्री हि.1/54 सीताराम पुत्र एजन हि.1/90, मीनक्षी पुत्रीएजन हि.1/90, द्रोपदी पुत्री ऐजन हि. 1/90, कैलाशचन्द्र पुत्र होकमा हि. 1/72, कस्तूरी पुत्री	140 मे से	0.6500	चाही2
		141	0.7800	चाही 2
		145 मे से	0.6600	बीड

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

	काना हि.1/30, कालूलाल पुत्र वोतलाल हि.1/30 काली पुत्री बागा हि.1/18, छगनलाल पुत्र होकमा हि.1/72, जमनीबाई पुत्री वोतलाल हि.1/30, ठम्माबाई पत्नि होकमा हि.1/72, देउबाई पत्निबद्री हि.1/54, प्रभाती पुत्री वागा हि. 1/18, वंशी पुत्र हीरा हि.1/24, भैरूलाल पुत्र वोतलाल हि.1/30, भैरूलाल पुत्र होकमा हि.1/72, भंवरलाल पुत्र हीरा हि.1/24, भंवरिया पुत्र छोगा हि. 1/18, भवाना पुत्र भूरा हि. 1/6, रतनी पुत्री वागा हि. 1/18, लालीबाई पत्नि स्व. फोरूलाल हि. 1/60, शम्भु पुत्र काना हि. 1/30, सुशीला पुत्री काना हि. 1/30, सूडी पुत्री काना हि.1/30, सुशीला पुत्री काना हि. 1/30, सांवरा पुत्र फोरूलाल हि. 1/60, हेमराज पुत्र वोतलाल हि.1/30, हीरू पुत्री बद्री हि. 1/54, गुर्जर सा.देह खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा वेगूँ हि.भुवाना पुत्रभूरा	147 मे से कीता–4	2.9380 5.0280 हैक्टर	बंजड
3–	संजनाबाई पुत्री रतनलाल हि. 1/3, गुर्जर सा.किशनपुरा अनोपी पुत्री हीरा हि. 1/36, उदयलाल पुत्र बालू हि.1/36 उदयलाल पुत्र बद्री हि. 1/81, सीताराम पुत्र एजन हि.1/135, मीनाक्षी पुत्री एजन हि.1/135, द्रोपदी पुत्री एजन हि.1/135, कैलाशचन्द्र पुत्र होकमा हि.1/108, कस्तूरी पुत्री काना हि.1/45, कालूलाल पुत्र बोतलाल हि. 1/45, काली पुत्री बागा हि.1/27, छगनलाल पुत्र होमा हि. 1/108, जमनीबाई पुत्री बोतलाल हि. 1/45, ठम्माबाई पत्नि होकमा हि. 1/108, देउबाई पत्नि बद्री हि.1/81, प्रभाती पुत्री बागा हि. 1/27, बंशी पुत्र हीरा हि.1/36 भैरूलाल पुत्र बोतलाल हि.1/45, भैरूलाल पुत्र होकमा हि.1/108 भंवरलाल पुत्र हीरा हि.1/36,भंवरिया पुत्र छोगा हि. 1/27, रतना पुत्र भूरा हि. 1/9, रतनी पुत्री बागा हि. 1/27, लालीबाई पत्नि स्व. फोरूलाल हि. 1/90, शम्भु पुत्र काना हि.1/45, सूडी पुत्री काना हि. 1/45, सुशीला पुत्री काना हि. 1/45, सांवरा पुत्र फोरूलाल हि. 1/90, हेमराज पुत्र बोतलाल हि.1/45 हीरू पुत्र बद्री हि. 1/81, गुर्जर सा.देह खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा बेगूँ हिस्सा भवाना पुत्र भूरा का एवं बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काटून्दामोडा हिस्सा संजनाबाई पत्नि रतनलाल का	135 147 मे से 147 मे से कीता–3	0.0600 0.0960 0.0960 0.2520है.	आ.चा बंजड रास्ता

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव में खाता संख्या 117 व 118 मे समान काश्तकार समान हिस्सानुसार दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा एवं खाता एक साथ दर्ज कर प्रस्तावित विभाजन किया गया है। उपरोक्त हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग अलग दर्ज किया जावें। दावा अंतिम डिकी किया जाता है। अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

यह प्राथमिक डिकी आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/944 दिनांक :– 26/11/25

दावा संख्या 34/2021 व अनवान श्रीमति संजनाबाई बनाम भंवरिया वगै. दावा अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ